1100 किमी पीछा कर पकड़ा भू माफिया जफर खान को

30 से ज्यादा लोगों से प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप, धुले से पकड़कर लाई पुलिस

नव भारत न्यूज

इंदौर. प्लॉट बेचने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लेकर फरार चल रहे भू माफिया जफर खान को चंदन नगर पुलिस ने महाराष्ट्र के धुले से गिरफ्तार किया है. आरोपी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीनों के सौदे करने और कई लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप हैं. पुलिस पूछताछ में उसके कब्जे से जमीन संबंधी दस्तावेज भी जब्त किए हैं.

चंदन नगर में रहने वाला जफर खान के खिलाफ प्लॉट बेचने के नाम पर 25 लाख रुपए लेने और बाद में न प्लॉट देने न राशि लौटाने की शिकायत मिली थी. जांच में सामने आया कि आरोपी ने गीता पैलेस कॉलोनी में प्लॉट

नम्बर 221 का सौदा फरियादी मोहम्मद मुश्ताक खान से किया था. राशि लेने के बाद पता चला कि वही प्लॉट पहले किसी अन्य व्यक्ति को बेचा जा चुका था. पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी की है. अब तक करीब 30 पीड़ित सामने आ चुके हैं, जिनसे प्लॉट के नाम पर रुपए लेकर सौ रुपए के स्टांप पर नोटरी कराई गई, लेकिन न तो प्लॉट दिए गए और न ही रुपए लौटाए. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गया था. पुलिस को सूचना मिली कि वह गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में ठिकाने बदलकर रह रहा है. तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उसकी लोकेशन बेंगलुरु में मिली. वहां से निकलने के बाद पुलिस टीम ने करीब 1100 किलोमीटर पीछा कर उसे महाराष्ट्र के धुले से पकड़ा. आरोपी को न्यायालय में पेश कर चार दिन की रिमांड पर लिया है. पूछताछ में उसके कब्जे से जमीन संबंधी दस्तावेज और नोटरी बरामद किए हैं. पुलिस अन्य पीड़ितों और उससे जुड़े मामलों की भी जांच कर रही है.

अन्य शिकायतों की जांच की जा रही

आरोपी लंबे समय से फरार था और अलग अलग राज्यों में ठिकाने बदल रहा था. तकनीकी साक्ष्यों की मदद से उसे महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. पूछताछ में जमीन संबंधी धोखाधड़ी के कई मामलों की जानकारी सामने आई है. अन्य पीड़ितों की शिकायतों की भी जांच की जा रही है.

एसीपी अन्नपूर्णा, शिवेंदु जोशी

युवक को सीधे जेल भेजना पड़ा भारी, हाईकोर्ट ने तलब किया एसीपी को

नव भारत न्यूज

इंदौर. मारपीट के एक मामले में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना युवक को सीधे जेल भेजना इंदौर पुलिस को भारी पड़ गया. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस कार्रवाई और अपने रिहाई आदेश के पालन में हुई देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए खजराना एसीपी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है. वहीं पुलिस कमिश्नर से भी जवाब मांगा है.

मामला खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां पड़ोसी से विवाद के बाद पुलिस ने तवरेज नामक युवक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर सीधे जेल भेज दिया था. जबकि नियमानुसार आरोपी को पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया जाना था. युवक की ओर से अधिवक्ता अमित सिसोदिया ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सवाल उठाया कि पुलिस कमिश्नर को किसी आरोपी को सीधे जेल भेजने का वैधानिक अधिकार है या नहीं. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने खजराना एसीपी को व्यक्तिगत रूप से तलब कर पूछा कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत युवक को सीधे जेल भेजा और न्यायालय के रिहाई आदेश का तत्काल पालन क्यों नहीं किया. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, आपको इंदौर में ड्यूटी करना है या नहीं हाईकोर्ट ने युवक की तत्काल रिहाई के निर्देश दिए थे, लेकिन आदेश का समय पर पालन नहीं होने पर भी अदालत ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अब यह भी तय किया जाएगा कि बीएनएसएस की धारा 170 के तहत पुलिस कमिश्नर को किसी आरोपी को सीधे जेल भेजने का वैधानिक अधिकार है या नहीं.

रिहाई आदेश के पालन में देरी पर पुलिस कमिश्नर से भी मांगा जवाब

प्रत्येक थाने में एक कर्मचारी नियुक्त किए जाए

मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि प्रदेश के प्रत्येक थाने में न्यायालय के आदेशों के तत्काल पालन के लिए अलग सेल अथवा नामित कर्मचारी नियुक्त किया जाए. शासन की ओर से अदालत को आश्वस्त किया कि सभी थानों में इसके लिए अलग कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे, ताकि भविष्य में न्यायालय के आदेशों के पालन में किसी प्रकार की देरी न हो.

एमडी ड्रग्स तस्करी में उज्जैन जेल से आरोपी को लाकर क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

53 ग्राम मेफेड्रोन जब्ती मामले में बढ़ी कार्रवाई, सप्लायर और नेटवर्क की तलाश में पूछताछ जारी

नव भारत न्यूज

इंदौर. एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले में वांछित आरोपी को क्राइम ब्रांच ने उज्जैन जिला जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है. आरोपी की भूमिका जांच के दौरान सामने आई थी. पुलिस अब उससे मादक पदार्थ के स्रोत, सप्लायर और तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है.

क्राईम ब्रांच थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में तोहिद खान उम्र 27 साल निवासी गणेश नगर, नागझिरी उज्जैन और रखमान कुरैशी उम्र 23 साल निवासी आदर्श नगर, नागझिरी उज्जैन को गिरफ्तार किया था. दोनों आरोपियों के कब्जे से

पुलिस ने 53.57 ग्राम एमडी ड्रग्स (मेफेड्रोन) और तस्करी में उपयोग हीरो एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल नम्बर एमपी 13 जेडडी 5594 जब्त की थी. जांच के दौरान आदर्श भदौरिया उम्र 30 साल निवासी गांधीनगर, आगर रोड उज्जैन की इस मामले में संलिप्तता सामने आई थी. पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी किसी अन्य प्रकरण में उज्जैन जिला जेल में बंद है. इसके बाद न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त कर उसे इंदौर लाया गया और मामले में विधिवत गिरफ्तार किया. आरोपी कैटरिंग मैनेजमेंट का काम करता है. उसके खिलाफ उज्जैन में पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें थाना कोतवाली में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं में वर्ष 2020 का प्रकरण, थाना नागझिरी में और पवासा थाना में एनडीपीएस एक्ट के मामले शामिल हैं.

क्राइम ब्रांच की एनडीपीएस कार्रवाई 2026...–क्राइम ब्रांच इंदौर ने वर्ष 2026 में अब तक एनडीपीएस एक्ट के 54 प्रकरणों में 114 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन कार्रवाइयों में पुलिस ने 2.38778 किलोग्राम एमडी ड्रग्स, 28.338 किलोग्राम गांजा, 500 किलोग्राम भांग, 268.58 ग्राम ब्राउन शुगर और 10 ग्राम कोकीन जब्त की है. इसके अलावा अवैध हथियार और वाहनों सहित करीब 2 करोड़ 96 लाख 78 हजार रुपए का माल जब्त किया है.

आरोपी से पूछताछ की जा रही है...

इस मामले में वांछित आरोपी की भूमिका सामने आने के बाद उसे उज्जैन जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लाकर गिरफ्तार किया है. आरोपी से ड्रग्स के स्रोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है.

डीसीपी क्राइम, राजेश त्रिपाठी

टेंडर में आईडी पासवर्ड का खेल फर्म को फायदा पहुंचाने की जांच

स्मार्ट क्लास पैनल खरीदी में गड़बड़ी उजागर, कर्मचारी और फर्म संचालक पर कार्रवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. जिला शिक्षा केंद्र में स्मार्ट क्लासरूम के लिए इंटरएक्टिव पैनल खरीदी के ऑनलाइन टेंडर में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. जांच में टेंडर प्रक्रिया में आईडी और पासवर्ड के इस्तेमाल से एक फर्म को लाभ पहुंचाने के तथ्य सामने आए हैं.

राज्य साइबर सेल ने मामले में जिला शिक्षा केंद्र के कंप्यूटर ऑपरेटर तेज कुमार जाटव और फर्म संचालक विक्रांत गुप्ता के खिलाफ जांच के आधार पर कार्रवाई की है. समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले के 39 शासकीय माध्यमिक स्कूलों और 8 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में इंटरएक्टिव पैनल लगाए जाने थे. इसके लिए सरकारी ई मार्केट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन खरीदी प्रक्रिया शुरू की गई थी. जांच में सामने आया कि टेंडर में शामिल फर्मों की तकनीकी जांच पूरी होने और सक्षम अधिकारियों की मंजूरी से पहले ही कीमत वाली निविदा खोल दी गई. नियमानुसार तकनीकी रूप से योग्य फर्मों के चयन के बाद ही वित्तीय प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है. मामले की जांच राज्य साइबर सेल को सौंपी गई थी. जांच में पता चला कि टेंडर जिला शिक्षा केंद्र में पदस्थ कंप्यूटर ऑपरेटर तेज कुमार जाटव की आईडी से जारी हुआ था. आरोप है कि उसने अपनी पोर्टल आईडी और पासवर्ड विक्रांत गुप्ता को उपलब्ध कराए, जिसके बाद उसकी फर्म इनोवेक्टर सॉल्यूशंस को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई. साइबर सेल की जांच में दोनों के बीच लगातार संपर्क होने की जानकारी भी सामने आई है. पुलिस ने डिजिटल साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की जांच शुरू कर दी है. मामले में तकनीकी और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर जांच की गई है. जांच में सामने आए तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

एक नजर में

कबाड़ यात्रा का स्वागत किया

महू. स्थानीय वेटनरी चौराहे पर भाजपा महिला मोर्चा कोदरिया मण्डल डॉ रीता उपमंन्यु के नेतृत्व मैं कावड़ यात्रा का स्वागत फूल वर्षा और फूल मालाओ से किया गया जिसमें मुख्य रूप से राजे श्री गर्ग, प्रेरणा यादव, रजनी सोलंकी, आरती चौहान, निशा, कुसुम जैसावल संध्या पंडित, हरीश भैय्या लीला पांडेय, देवकी शरणम् आदी उपस्थित रहे. आभार प्रेरणा यादव ने माना.

पालकी यात्रा में चेन स्नैचरों का धावा

महू. सावन मास के पहले सोमवार को महू शहर में श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई पालकी यात्रा के दौरान चेन स्नैचरों ने जमकर तांडव मचाया. भीड़ का फायदा उठाकर शातिर चोरों ने दो वृद्ध महिलाओं सहित करीब आधा दर्जन 6 श्रद्धालुओं के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र साफ कर दिए. हालांकि, गोपाल मंदिर क्षेत्र में एक व्यापारी की सतर्कता के कारण गिरोह का एक संदिग्ध सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया है. मिली जानकारी के अनुसार, पालकी यात्रा के दौरान भारी भीड़ उमड़ी थी. इसी सुरक्षा चूक का फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया. अब तक चार पीड़ितों की पहचान हो चुकी है, जिनमें दो पीड़ित लुनियापुरा, एक गुजरखेड़ा और एक मेहता की चाल क्षेत्र के निवासी हैंय बताया जा रहा है कि यह गैंग रविवार से ही क्षेत्र में रेकी कर रहा था और सक्रिय था. इस बड़ी चोरी के बाद श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों में दहशत और आक्रोश का माहौल है |व्यापारी ने दिखाई बहादुरी, दो तोले की चेन हुई चोरीगोपाल मंदिर क्षेत्र से जब यात्रा गुजर रही थी, तब एक स्थानीय व्यापारी के गले से बदमाशों ने करीब दो तोले की सोने की चेन उड़ा दी. चेन गायब होते ही व्यापारी ने तुरंत तत्परता दिखाई और संदेह के आधार पर पास ही खड़े एक युवक को मजबूती से दबोच लिया.

अस्थायी दुकानों की विज्ञप्ति के विरोध में कांग्रेसियों का ज्ञापन

महू. महू छावनी परिषद द्वारा विज्ञप्ति जारी में बताया कि महू के बाजारों में सीजनल त्योहारों पर लगने वाली अस्थायी दुकानों को उनके परम्परागत स्थान से अन्यत्र स्थान पर स्थानांतरित करने का निर्देश जारी किया गया हैं, जिसके विरोध स्वरूप महू शहर कांग्रेस महामंत्री अमित अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने महू छावनी परिषद सीईओ से मिलकर उन्हें ज्ञापन पत्र देकर इस विषय पर विस्तृत चर्चा की. प्रतिनिधि मंडल का आरोप है की बड़े एवं स्थाई दुकानदारों को फ़ायदा पहुँचने के उद्देश्य से छोटे दुकानदारों को इस तरीक़े से असमंजस में डाला जा रहा है और उनके साथ अन्याय पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है जब की छावनी परिषद द्वारा यातायात की समस्या का बहाना लेकर अस्थायी दुकानदारों को स्थान्तरित करने की बात कहीं जा रही है लेकिन कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल का कहना था की यातायात की समस्या स्थायी है अस्थायी दुकानदारों को हटाना एकमात्र विकल्प नहीं साथ ही प्रतिनिधि मंडल ने यह आरोप भी लगाया कि छावनी परिषद ने पिछले कुछ समय में केवल और केवल जानता के पैसों की बर्बादी अपनी हठधर्मिता के कारण की है जितने भी प्रोजेक्ट पर राशि खर्च की गई है उन में से कोई भी सफल न होकर उनसे जानता को कोई लाभ नहीं मिल रहा जैसे डी.पी. कैंट हॉस्पिटल सब्ज़ी मंडी या फिर फ़ूड कोर्ट, जिसके जवाब में छावनी अधिकारी द्वारा कहा गया कि छावनी परिषद महू के नागरिकों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में पहले से ज़्यादा कार्य कर रही है और यदि कुछ विकास चाहिए तो लोगों को अपनी सोच बदलना होगी महू की व्यवस्था पुलिस एवं और विभागीय अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के लोग मिलकर लेते हैं अकेले छावनी परिषद का निर्णय नहीं होता इस पर प्रतिनिधिमंडल द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया ज्ञापन की प्रतिलिपि अनुविभागीय अधिकारी राकेश परमार जी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय को भी सौंपी गई . अमित अग्रवाल द्वार माँग पूरी नहीं होने की दशा में उचित कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से महू युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ओम पटेल, महू आई टी सेल विधानसभा अध्यक्ष विकास यादव, महू शहर कांग्रेस कमेटी वार्ड क्रमांक चार के अध्यक्ष विकास कौशल, मनमोहन कौशल, सार्थक, पंकज आदि साथी गण उपस्थित रहे छावनी परिषद की और से चर्चा में अधीक्षक सतीश अग्रवाल एवं अनिल भाटी जी उपस्थित रहे।

सड़कों पर हथियार लेकर घूम रहे बदमाश

- एक दिन में छह धारदार हथियार बरामद
- चाकू, तलवार और गुप्ती लेकर सार्वजनिक स्थानों पर मिले आरोपी; पुलिस ने की कार्रवाई

नव भारत न्यूज

इंदौर. शहर में धारदार हथियार लेकर घूमने वालों की मौजूदगी एक बार फिर सामने आई है. अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई में पुलिस ने एक दिन में छह लोगों को चाकू, तलवार, गुप्ती और छुरे जैसे हथियारों के साथ पकड़ा है. इनमें कई आरोपी सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमते मिले.

तुकोगंज थाना क्षेत्र में नेहरू पार्क रोड के पास विकास महोबिया के पास से गुप्ती मिली, जबकि नगर निगम जोन के पीछे मैदान से दिलीप निहोरे खटकेदार चाकू के साथ पकड़ा. छोटी ग्वालटोली क्षेत्र में शास्त्री ब्रिज के पास शाहवाज शाह और रावजी बाजार क्षेत्र में संतोष सनोने के पास से धारदार चाकू बरामद हुआ. अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में देवेन्द्र नगर से माखनलाल पटवारी के पास तलवार मिली, वहीं द्वारकापुरी क्षेत्र में अनिल सोलंकी से धारदार छुरा जब्त किया. सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के साथ पकड़े जा रहे लोगों से यह सवाल भी खड़ा हो रहा है कि शहर में धारदार हथियारों की उपलब्धता और उनका इस्तेमाल रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है. पुलिस ने सभी मामलों में आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जांच शुरू कर दी है.

जनसुनवाई में 74 शिकायतें पहुंचीं, पारिवारिक विवाद सबसे ज्यादा

जमीन, फर्जी लोन, ठगी और पुलिस सुनवाई नहीं होने के मामले भी पहुंचे

नव भारत न्यूज

इंदौर. मंगलवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय में हुई जनसुनवाई में 74 लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे. सबसे ज्यादा मामले पति पत्नी और पारिवारिक विवाद के रहे. इसके अलावा जमीन और प्लॉट विवाद, फर्जी लोन, पैसों की ठगी, महिला अपराध तथा पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने जैसी शिकायतें भी सामने आई.

जनसुनवाई के दौरान पुलिस कमिश्नर ने एक एक शिकायत सुनी गई और संबंधित अधिकारियों से मौके पर ही जानकारी लेकर कई मामलों में कार्रवाई शुरू कराई गई. जिन प्रकरणों का तत्काल निराकरण संभव नहीं था, उनमें जल्द जांच पूरी कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. शिकायतों में बहू बेटे द्वारा माता पिता को प्रताड़ित करने, वित्तीय धोखाधड़ी, लेन देन के विवाद और महिला अपराध से जुड़े मामले भी शामिल रहे. कई फरियादियों ने पुलिस थानों में सुनवाई नहीं होने की शिकायत भी रखी. पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों को लंबित रखने के बजाय तय समय में उनका निराकरण किया जाए. जनसुनवाई में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मयंक अवस्थी सहित सभी जोन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. कई मामलों में तत्काल कार्रवाई शुरू कराई गई, जबकि पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से दोनों पक्षों की काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया.

अंधे कत्ल का खुलासा करने वाली टीम के छह पुलिसकर्मी सम्मानित

सेंट्रल कोतवाली की टीम को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार, नशा मुक्ति अभियान में बेहतर काम करने वालों का भी सम्मान

नव भारत न्यूज

इंदौर. सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम के छह सदस्यों को मंगलवार को सम्मानित किया. पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नगद पुरस्कार देकर उनके कार्य की सराहना की गई.

सम्मानित होने वालों में थाना सेंट्रल कोतवाली के निरीक्षक रवीन्द्र पाराशर, प्रधान आरक्षक मुकेश लोभाना, पंकज बघेल, प्रदीप शर्मा, लोकेश प्रजापत और आरक्षक संजीव धर शामिल हैं. टीम ने क्षेत्र में हुए अंधे कत्ल की जांच करते हुए आरोपी तक

पहुंचने और उसे गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक सम्मान कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ाया. उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए अच्छा काम करने वाले कर्मचारियों को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा. कार्यक्रम में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को भी प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया. अभियान के दौरान ई शपथ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सहभागिता करने वाली पुलिस इकाइयों, प्रशिक्षण संस्थानों, विभिन्न थानों और पुलिस लाइन को भी प्रमाण पत्र प्रदान किए. इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) आर.के. सिंह सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

पुराने विवाद में पेट्रोल डालकर रेस्टोरेंट में लगाई आग, सीसीटीवी से पकड़ा आरोपी

ओम साईं राम रेस्टोरेंट आगजनी मामले में पुलिस ने किया खुलासा

इंदौर. विजय नगर थाना क्षेत्र में रेस्टोरेंट में आगजनी के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि पुराने विवाद के चलते आरोपी ने पेट्रोल डालकर रेस्टोरेंट में आग लगाई थी. वारदात के बाद मौके से निकलते हुए आरोपी सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया, जिसके आधार पर पुलिस उस तक पहुंची.

कृष्णबाग कॉलोनी निवासी नीरज साहू उम्र 26 साल के ओम साईं राम रेस्टोरेंट में 11 जून को आग लगने की घटना हुई थी. जांच के दौरान पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले, जिसमें श्रद्धा श्री कॉलोनी निवासी वरुण तेवरी घटना के बाद रेस्टोरेंट से जाते हुए दिखाई दिया. जांच में नीरज साहू ने पुलिस को बताया कि उसका पहले वरुण से विवाद हुआ था. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में उसने पुराने विवाद के चलते वारदात करना स्वीकार किया. आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह रात में रेस्टोरेंट पहुंचा और शटर उठाकर अंदर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

एक नजर में शिकायतों और टेस्टिंग के बाद भी नहीं सुधरी जलापूर्ति, निजी टैंकरों पर खर्च करने को मजबूर लोग

वार्ड 40 में वर्षों पुराना जल संकट बरकरार, टैंकरों के भरोसे रहवासी

नव भारत न्यूज

इंदौर. वार्ड 40 में वर्षों पुराना जल संकट अब भी बरकरार है. शिकायतों, टेस्टिंग और आश्वासनों के बावजूद नियमित जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी. मजबूर रहवासी निजी टैंकरों पर खर्च कर दूषित पानी की परेशानी झेल रहे हैं.

शिवबाग कॉलोनी में वर्षों से चला आ रहा जल संकट आज भी दूर नहीं हो सका है. कॉलोनी के रहवासियों का कहना है कि नगर निगम और एलएंडटी की लापरवाही के कारण नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही. कई बार आवेदन, ऑनलाइन शिकायत और पार्षद कार्यालय में मौखिक व लिखित शिकायतें देने के बावजूद समाधान नहीं निकला. क्षेत्र की पांच नंबर गली में लाइन टेस्टिंग के नाम पर पाइप लाइन काटकर दूसरी जगह वाल्व लगाया बावजूद इसके नर्मदा का पानी अब तक सप्लाई नहीं हो सका. क्षेत्र में सरकारी टैंकर चार से आठ दिन में एक बार आता है. पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए अधिकांश परिवार निजी टैंकर मंगवाकर अतिरिक्त खर्च उठा रहे हैं. पानी की कमी होने पर लोगों को आसपास की कॉलोनियों से पानी लाना पड़ता है. नवभारत पूर्व में भी इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित कर चुका है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं. समस्या का जल्द समाधान नहीं होने पर रहवासियों में नाराजगी बढ़ रही है.

इनका कहना है...

चार से आठ दिन में एक बार सरकारी टैंकर से प्रत्येक परिवार को दो सौ लीटर का ड्रम और छोटी चार कुप्पी पानी मिलता है. ऐसे में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती.

– सारिका बाई

कई सालों से आज तक क्षेत्र में नर्मदा पानी नहीं आ रहा. बिना समय सरकारी टैंकर आते हैं, हम लोग काम पर जाएं या पानी भरें. हमारे क्षेत्र में नर्मदा लाइन शुरू होना चाहिए.

– लीला बाई

हम गरीब लोग हैं, निजी टैंकर के लिए पैसा कब तक भरें. हम लोगों को पानी की पूर्ति करने के लिए एक किलोमीटर दूर एक शोरूम पर जाकर पानी लाना पड़ता है.

– मेघा बाई